

बिहार सरकार
उद्योग निदेशालय

पत्रांक 119/अर्क2न

पटना, दिनांक 05.03.19

सं: सं०-०५/स० नि० ३० (आवंटन) २०/२०१८

प्रेषक,

पंकज कुमार सिंह,
उद्योग निदेशक, बिहार।

सेवा में,

सहायक उद्योग निदेशक (लेखा),
उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना।

विषय :-

मुख्य शीर्ष-2851-ग्राम तथा लघु उद्योग, उप मुख्य शीर्ष-00, लघुशीर्ष-105-खादी ग्रामोद्योग, मांग सं०-23, उपशीर्ष-0101- बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को सहायक अनुदान, विपत्र कोड 23-2851001050101 के अंतर्गत विषय शीर्ष 0101.28.03 -कन्सल्टेंसी मद से वित्तीय वर्ष 2018-19 में बिहार में खादी के विकास एवं बिहार के खादी संस्था/समितियों को डिजायनयुक्त खादी वस्त्रों के निर्माण में सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से चयनित Project Management Agency (PMA) के शुल्क के भुगतान हेतु रु० 1,25,00,000/- (एक करोड़ पचीस लाख रुपये) मात्र की स्वीकृति के आलोक में राशि का आवंटन।

महाराज,

उक्त बजट शीर्ष के अधीन चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में संबंधित व्यय को वहन करने हेतु कुल रु० 1,25,00,000/- (एक करोड़ पचीस लाख रुपये) मात्र का आवंटन स्वीकृत किया जाता है।

2 इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में आय-व्ययक शीर्ष-2851-ग्राम तथा लघु उद्योग, उप मुख्य शीर्ष-00, लघुशीर्ष-105-खादी ग्रामोद्योग, मांग सं०-23, उपशीर्ष-0101- बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को सहायक अनुदान, विपत्र कोड 23-2851001050101 के अंतर्गत विषय शीर्ष 0101.28.03-कन्सल्टेंसी मद में तृतीय अनुपूरक आगणन के माध्यम से उपबंधित राशि से विकलित होगा।

3 यह आवंटन वित्तीय वर्ष 2018-19 के विभागीय स्वीकृत्यादेश ज्ञापांक-1095 दिनांक 21.02.2018 के आलोक में किया जा रहा है। इसके सभी निदेशों एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4 राशि की निकासी वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561 वि०(2) दिनांक 17 अप्रैल, 1998 के आलोक में ही की जाय तथा उक्त परिपत्र के प्रत्येक अनुदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5 राशि की निकासी करते समय निम्नांकित बिन्दुओं का विशेष ध्यान रखा जाय :-
(क) योजना की स्वीकृति के आधार पर तथा वित्त विभाग के उक्त परिपत्र में निर्धारित अधिसीमा तक ही व्यय किया जाय।

(ख) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व है कि वित्त नियमावली के भाग-1 के नियम 475 का अनुपालन दृढ़तापूर्वक करें ताकि व्यय पर नियंत्रण रखा जा सके और किसी भी हालत में प्राक्थानित राशि से अधिक व्यय नहीं होने पाए।

(ग) व्यय प्रतिवेदन व्यय के तुरत बाद टी० भी० न०/बिल न० के साथ अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें।

(घ) 2018-19 का प्रत्यर्पण प्रतिवेदन 15 मार्च 2019 तक अवश्य भेज दें।

6 राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जाएगी।

विश्वासभाजन


उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।

कृ० पू० उ०

ज्ञापक 119/अ/१२८

पटना, दिनांक 05.03.19

प्रतिलिपि - कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।

ज्ञापक 119/अ/१२८

पटना, दिनांक 05.03.19

प्रतिलिपि :- योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/महालेखाकार, बिहार, पटना/निदेशक, इस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय/निदेशक, तकनीकी विकास निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, बिहार, पटना/श्री सुरेश कुमार, उप उद्योग निदेशक (योजना), उद्योग विभाग, बिहार, पटना/ए०सी०-डी०सी० यू०सी० कोषांग, उद्योग विभाग/प्रशाखा-०५, उद्योग निदेशालय/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, महेश भवन, पटना/उप उद्योग निदेशक(योजना), उद्योग निदेशालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ तथा ऑटोमैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने एवं संबंधित कोषागार पदाधिकारी के अधिकृत ई-मेल पर भेजने हेतु प्रेषित।

उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।